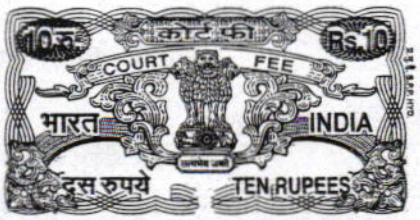

निग–1413–PBR–16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–गुना

शिवप्रसाद पुत्र श्री हरिनारायन औझा निवासी–मकसूदनगढ़ तहसील परगना राधौगढ़ जिला–गुना (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1– गुलाब सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद बढई निवासी–मकसूदनगढ़ तहसील परगना राधौगढ़ जिला–गुना (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1337-I/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1713–पीबीआर/16 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–9–2016	आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, उपस्थित । अनावेदक कमांक 2 शासन की ओर से श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8–10–2015 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	